

मालीराम खन्ना कारमल वर्मा

शारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पत्रना पत्र

अ.नं - 341/2017

16.05.22

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेशों व तलबी हेतु वर्ष 2006 से दिये गये 58 अवशरों के बावजूद भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटीस तलबाना आज दिनांक तक भी पेश नहीं किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह) 16/05/22

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर

